तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज भागीरथ बनाम नानूराम वगै अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट मु.नं. 85/2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.02.24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित । बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में पेश तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया कि प्रार्थी ग्राम रोही किस्तुरिया तहसील लूनकरनसर के पुस्तेनी निवासी सद्भाविक काश्तकार पेशे से कानून मे विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। ग्राम रोही किस्तुरियां के खसरा नम्बर पुराना 523/282/106/1 तादादी 50 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 304 तादादी 10.12 हैक्टेयर खातेदारी भूमि जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी भूमि थी अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को सम्वत 2056 मे जरिए इकरारनामा रूवारू गवाहन के 70000/ रूपये मे बैचान कर दी थी व कब्जा उसी दिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को दे दिया अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को पहले उपरोक्त भूमि रहनपर दी व यह तय किया गया कि अगर अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को 70000 रूपये देने मे असमर्थ रहता है तो उपरोक्त भूमि का बैनामा बाजार भाव से अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को करवाने के लिये पाबन्द रहेगा व कब्जा काश्त सम्वत 2056 मे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को सम्भला दिया सम्वत् 2056 से आज तक उपरोक्त भूमि प्रार्थी कब्जेकाश्त मे निरन्तर चली आरही है । रोही किस्तुरियां के खसरा नम्बर पुराना 523/282/106/1 तादादी 50 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 304 तादादी 10.12 हैक्टेयर खातेदारी भूमि जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम थी उस भूमि पर कब्जा काश्त सम्वत 2056 से लेकर आज दिनांक तक प्रार्थी का कब्जाकाश्त है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उपरोक्त भूमि प्रार्थी के नाम बैनामा नहीं करवाकर उपरोक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम बैचान कर दी व अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 3 के नाम बैचान कर दी व अब उपरोक्त भूमि अप्रार्थी 3 द्वारा यह भूमि दिनांक 04.06.2019 को अप्रार्थी संख्या 4 के नाम बैनामा करवा दिया गया उपरोक्त भूमि का कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के पास लगातार कब्जाकाश्त प्रार्थी के पास ही है उपरोक्त भूमि का बैनामा कागजों में होता रहा लेकिन कोई अप्रार्थी कभी मौक पर नहीं आये उपरोक्त भूमि का कब्जा काश्त लगातार प्रार्थी के पास रहा है। इसलिए एडवर्स पजेसन के आधार पर उपरोक्त भूमि का खातेदार अब प्रार्थी है क्योंकि प्रार्थी के पास लगभग 20 वर्षो उपरोक्त भूमि पर लगातार प्रार्थी का कब्जा होने के कारण प्रार्थी उपरोक्त भूमि एडवर्स पजेसन व इकरारनामा के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा करवाने का अधिकारी प्रार्थी है इसलिए प्रार्थी को उपरोक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी का एडवर्स पजेसन व इकरारनामा के आधार पर 20 वर्षो से कब्जा काश्त होने के कारण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का उपरोक्त भूमि पर लगातार कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है व अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के नाम किये गये बैनामा प्रारम्भिक शून्य होने के कारण उपरोक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के नाम किये गये बैनामे निरस्त करने योग्य व राजस्व रेकार्ड मे जहां जहां अप्रार्थी का नाम दर्ज है वहां वहां प्रार्थी का नाम एडवर्स पजेसन व इकरारनामा के आधार पर खातेदार घोषित करके अप्रार्थी के स्थान पर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती कर प्रार्थी का नाम अप्रार्थीगण के स्थान पर दर्ज रेकार्ड किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण इस अमर की जारी फरमाई जावें कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि रोही किस्तुरियां के खसरा नम्बर पुराना 523/282/106/1 तादादी 50 बीघा जिसकेक नये खसरा नम्बर 304 तादादी 10.12 हैक्टेयर पर ना ही प्रार्थी के कब्जे काश्त मे दखलान्दजी करें इस हेतु वाद के निर्णय तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आरटीए कन्फर्म करने हेतु निवेदन किया गया।	

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा जवाब प्रार्थना के कथन को दौहराते हुए निवेदन किया गया की अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा रोही किस्तुरिया के खाता संख्या 175 के खसरा नम्बर 304 मे 10.12 हैक्टेयर बारानी भूमि खरीद की है जिस पर अप्रार्थी संख्या 4 काबिज होकर काश्त की हुई है। जिसका नामान्तरण दर्ज होकर रिकार्ड मे स्थित है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 4 राज्य सरकार का रिकोर्डेड स्वीकृत काश्तकार है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुवे कहा गया की प्रार्थी द्वारा एक फर्जी एकरारनामा की आड़ मे वादपत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज योग्य है प्रार्थनापत्र के पैरासंख्या 7 मे वर्णित तमाम कथन मिथ्या, झुठ होने के कारण अस्वीकार किया गया है। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा ग्राम रोही किस्तुरिया के खाता सख्यां 175 के खसरा नम्बर 304 मे 10.12 हैक्टेयर बारानी भूमि खरीद की है जिस पर अप्रार्थी संख्या 4 काबिज होकर काश्त की हुई है। जिसका नामान्तरण दर्ज होकर रिकार्ड मे स्थित है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 4 राज्य सरकार का रिकोर्डेड स्वीकृत काश्तकार है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

राजपैरोकार द्वारा जवाब मे रेकॉर्ड की हद तक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। शेष बिन्दु अस्वीकार किए गए हैं।

उभय पक्ष की बहस सूनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया उक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे प्रार्थी पक्ष द्वारा उक्त विवादित इकरारनामे के अतिरिक्त आज दिनांक तक अन्य साक्ष्य पेश करने मे विफल रहा है। उक्त प्रकरण को निस्तारित करने के लिये प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं को प्रार्थी द्वारा साबित करना हैं प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई अन्य दस्तावेज पेश नहीं किये गए है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में हो अतः उक्त प्रस्तुत बहस एवं दस्तावेजो के आधार पर प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे नही हैं ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। अप्रार्थी संख्या 2,3 व 4 रिकॉर्डेड काश्तकार है जिसके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रहने से अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होनी सम्भावित हैं । इसलिये प्रार्थी के पक्ष में पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 20.06.2019 अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज की जाती हैं। वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्त्तर हो।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर